दिनाक 02.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–02/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **डकैती की घटना का अनावरण,**
- **डकैती के लगभग 04 लाख रूपये कीमत के सोने चॉदी के आभूषण (शत–प्रतिशत माल),**
- **04 अवैध तमंचे, 09 जीवित , 02 खोखा कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.02.2021 को थाना नारखी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नये बाईपास पर जलेसर पुल के नीचे 02 मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान डॉनी गैंग के 04 अभियुक्तों 1–धर्मेन्द्र उर्फ भोला 2–शैलेन्द्र 3–बलबीर 4–दिनेश को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से डकैती के शतप्रतिशत माल लगभग 04 लाख रूपये कीमत के सोने चॉदी के आभूषण, 04 अवैध तमंचे, 09 जीवित , 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 24.01.2021 को थाना नारखी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा ज्वैलर्स के साथ लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में

थाना नारखी पर मु0अ0सं0—33/2021 धारा 395 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद सोने चॉदी के आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नारखी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—धर्मेन्द्र उर्फ भोला निवासी रानीनगर कोटला रोड थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

2—शैलेन्द्र निवासी रानीनगर कोटला रोड थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

3—बलबीर निवासी कुतुबपुर चनौरा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

4—दिनेश निवासी कुतुबपुर चनौरा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः—

1—लगभग 04 लाख रूपये कीमत के सोने चॉदी के आभूषण,

2—04 अवैध तमंचे, 09 जीवित , 02 खोखा कारतूस,

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **अपहरण की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 02.02.2021 को थाना दक्षिण व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीएल जैन कालेज से हुॅमायूपुर को जाने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की

गयी कार्यवाही में मुख्य अपहरणकर्ता अभय गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घटना में संलिप्त उसके अन्य साथियों 2—हिमांशु 3—सतीश 4—रीता 5—बब्लू को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 दो पहिया वाहन बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 31.01.2021 को थाना दक्षिण क्षेत्रान्तर्गत 02 बच्चों को अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जनपदीय पुलिस द्वारा दोनो बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर मु0अ0सं0—54/2021 धारा 364 ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—अभय निवासी सरस्वती कुन्ज, गोविन्दनगर थाना गोविन्दनगर थाना मथुरा, हालपता—मकान नई आबादी बाम्बे बाजार, बोदला थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

2—हिमांशू निवासी मोहल्ला धाकरान थाना नाई की मण्डी जनपद आगरा।

3—सतीश निवासी भीमगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

4—रीता पत्नी बब्लू निवासी भीमगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

5—बब्लू निवासी भीमगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः—

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 दो पहिया वाहन

<u>जनपद मथुरा/थाना हाईवे</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 09 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट का आयसर कैन्टर वाहन**
- **ई–कॉम एक्सप्रेस कम्पनी का 230 बण्डलों में बन्द माल,**
- **06 एलसीडी,**
- **02 कार,**
- **05 अवैध तमंचे 315 बोर, 07 जीवित , 03 खोखा कारतूस,**
- **3370 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 01.02.2021 को थाना हाईवे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र हाईवे से पुलिस कार्यवाही के दौरान 09 शातिर अभियुक्तों 1–सलमान 2–रविन्द्र उर्फ बिल्ला 3–आरिफ 4–सरफराज 5–मुख्तियार 6–सहरून उर्फ सेलू 7–सलीम 8–आशिक 9–शाकिव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का आयसर कैन्टर वाहन, ई–कॉम एक्सप्रेस कम्पनी का 230 बण्डलों में बन्द माल, 06 एलसीडी, 02 कार, 05 अवैध तमंचे 315 बोर, 07 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 3370 रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। थाना हाईवे क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— सलामन निवासी विस्मरा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

2— रविन्द्र उर्फ बिल्ला निवासी पैगाँव थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

3— आरिफ निवासी सिकरावा थाना पिन्हुआ जनपद नूह हरियाणा।

4— सरफराज निवासी विछोर थाना पुन्हाना जनपद नूह हरियाणा।

5— मुख्तियार निवासी सिकरावा थाना पिन्हुआ जनपद नूह हरियाणा।

6— सहरून उर्फ शैलू निवासी विशम्भरा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

7— सलीम निवासी विशम्भरा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

8— आशिक निवासी सराय थाना मुन्डकटी जनपद पलवल हरियाणा।

9— शाकिव निवासी सिकरावा थाना पिन्हुआ जनपद नूह हरियाणा।

<u>बरामदगीः—</u>

1—लूट का 01 आयसर कैन्टर ,

2— ई—कॉम एक्सप्रेस कम्पनी का 230 बण्डलों में बन्द माल,

3—06 एलसीडी(एमआई कम्पनी)

4—02 कार,

5—05 अवैध तमंचे, 07 जीवित , 03 खोखा कारतूस

6—3370 रूपये नगद आदि।

<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अहिरौली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.02.2021 की रात्रि थाना अहिरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तिवारीपुर गॉव अम्बेडकरनगर अयोध्या मार्ग के पास अभियुक्त की

घेराबन्दी की गयी, तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त विशाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, सुल्तानपुर के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना महरूआ जनपद अम्बेडकरनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–09/2021 धारा 307 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

विशाल निवासी सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–:

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद चित्रकूट/थाना बहिलपुरवा

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 02.02.2021 को थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बहिलपुरवा जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दनदन उर्फ सन्तराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बहिलपुरवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–50/2020 धारा 307/323/504/506 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

दनदन उर्फ सन्तराम निवासी पुराना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट।

बरामदगी–:

01 अवैध बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद गोरखपुर/थाना कम्पियरगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 02.02.2021 को थाना कम्पियरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भौराबारी से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहिद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कम्पियरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–01/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कम्पियरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

शाहिद निवासी मोहम्मदपुर उर्फ जंगल बब्बन टोला थाना कम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।

जनपद बरेली / थाना किला

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अपराधी गिरफ्तार,**
- **08 निर्मित / अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचे,**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 01.02.2021 की रात्रि थाना किला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना किला क्षेत्रान्तर्गत संजय ट्रान्सपोर्ट के खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अपराधी खूबकरन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे / निशादेही पर 08 निर्मित / अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना किला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

खूबकरन निवासी जालिम नंगला थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी–

1–08 निर्मित / अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे,

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद प्रयागराज/थाना अतरसुइया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.02.2021 को थाना अतरसुइया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अतरसुइया चौराहे से मु0अ0सं0–14/2021 धारा 392/171/504/506/452 भादवि में नामजद अभियुक्तों 1–प्रवीण कुमार 2–दीपक 3–नितेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनॉकः 15.12.2020 व 16.12.2020 को वादी मुकदमा को धमकी देते हुये 05 लाख रूपये की अवैध वसूली की घटना कारित की गयी थी। दिनॉकः 01.02.2021 को पुनः अवैध वसूली के प्रयास के दौरान उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–प्रवीण कुमार निवासी बहुता चकडाही थाना सुरियावा जनपद भदोही
हालपता–प्रतिष्ठानपुरी एडीए कालोनी झूंसी थाना झूंसी जनपद प्रयागराज।

2–दीपक निवासी मीरापुर पंजाबी कालोनी थाना अतरसुइया जनपद प्रयागराज।

3–नितेश निवासी राजरूपपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

जनपद बागपत/ थाना चॉदीनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को 06–06 वर्ष के कारावास व कुल 01 लाख 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, जनपद बागपत द्वारा थाना चॉदीनगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 323/315/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में अभियुक्त 1–आदेश 2–कृष्णा 3–ओमकार 4–सिम्पल को 06–06 वर्ष के कारावास व कुल 01 लाख 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

––––––